राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 690/2009/सीकर
अपील संख्या 691/2009/सीकर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता–चतुर्थ, राजस्थान जयपुर ..... अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कैलाश चंद पुत्र हजारीलाल,
ग्राम–घासीपुरा, नीमकाथाना जिला–सीकर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
अनुपस्थित ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक :– 07.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) के द्वारा पृथक–पृथक अपील संख्या 150 व 151/आरवेट/एनआरडी/2007–08 में पारित किये गये पृथक पृथक आदेश दिनांक 01.12.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता चतुर्थ राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **''सशक्त अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 18.09.2007 को वाहन संख्या एचआर–38/के–2935 को शिवदासपुरा, टोंक रोड़ जयपुर पर रोका गया। वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी कैलाश चंद द्वारा वांछित दस्तावेज के रूप में मैसर्स बालाजी कैरियर्स, दिल्ली का चालान संख्या 53 व 54 दिनांक 17.09.2007 व उसमें दर्ज बिल्टियां मय बिलों के प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि परिवहनित माल राज्य के बाहर दिल्ली से राज्य के बाहर इंदौर के लिये था परन्तु बिल्टियों के साथ संलग्न बिल संदेहास्पद पाये जाने पर संलग्न दस्तावेजों में माल प्रेषक एवं प्रेषिति के पंजीयन के सत्यापन तथा परिवहनित माल के भौतिक सत्यापन हेतु वाहन को निरूद्ध करते हुये वाहन चालक/माल प्रभारी को माल प्रेषक व प्रेषिति के सत्यापन व माल के भौतिक सत्यापन हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा जवाब पेश किया गया। भौतिक सत्यापन के पश्चात् परिवहनित माल रूपये 10,15,645/– पर सशक्त अधिकारी द्वारा अपने पृथक पृथक आदेश दिनांक 31.10.2007 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(6) व 76(9) के तहत् प्रत्यर्थी पर कर एवं शास्तियों का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने पृथक पृथक आदेश दिनांक 01.12.2008 के द्वारा प्रत्यर्थी की अपीलें स्वीकार करते हुये सशक्त अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध राजस्व द्वारा क्रमश अपील संख्या 690/2009 मे कर रू0 90,530/– व शास्ति रू0 3,04,694/– तथा अपील संख्या 691/2009 में शास्ति रू0 3,04,694/– को इन अपीलों में विवादित किया गया है।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी बावजूद प्रकाशन कार्यवाही के पश्चात् भी अनुपस्थित रहा है। विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिविरूद्ध बताते हुये, सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को विधिसम्मत होना मानते हुये उक्त अपीलों में आरोपित कर व शास्ति को यथावत रखने का निवेदन किया एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच पाये गये दस्तावेजों में माल का परिवहन दिल्ली से इन्दौर के लिये किया जाना घोषित किया गया, किन्तु भौतिक सत्यापन पर कुछ माल बिलों से भिन्न तथा माल पर कोटा/के.टी. अंकित पाया गया, जिससे सशक्त अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि माल का परिवहन मिथ्या दस्तावेजों के द्वारा किया जा रहा है जबकि माल राज्य में ही उतारा जाना है। दौराने भौतिक सत्यापन ममता एजेन्सी कोटा के नाम दिनांक 15.09.207 रूपये 6950/– तथा इसी नाम की दिनांक 17.09.2007 रू. 4500/– अंकित खरीद पर्ची पायी गई, जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

भौतिक सत्यापन पर माल के कई नगों के ऊपर प्रा.मार्का के साथ साथ कोटा/के.टी लिखा पाया गया जबकि वक्त जॉच प्रस्तुत बिल्टी संख्या 643 पर प्रा.मा. 1001/3 एम अंकित है। जबकि तीनों पर 1001/केटी है अर्थात बिल्टियों पर लिखा प्रा. मा. व नग के ऊपर मिला प्रा. मार्का 1001 समान होने तथा नग के ऊपर मिला मार्का 1001/केटी लिखने से केटी अर्थात कोटा के व्यवसायी का माल होना स्पष्ट हैं। 15 नगों कें ऊपर जीटी/कोटा लिखा पाया गया जबकि इसकी बिल्टी संख्या 1072 पर प्रा. मार्का जीटी/15 एम लिखा है जबकि नगो पर जीटी/कोटा लिखा मिला, जिससे बिल्टी संख्या 1072 का यही माल होना, एवं यह माल कोटा के व्यवसायी का होना स्पष्ट होता है। मनिहारी नाखून पोलिस के तीन नगो पर 1079 तथा एसबीएस/3कोटा लिखा पाया गया, इससे बिल्टी संख्या 1079 पर प्रा.मार्का एसबीएस लिखा होने तथा नगो पर एसबीएस के नगो के नीचे कोटा लिखा होने से यह माल भी बिल्टी में लिखा माल ही होने तथा कोटा स्थित व्यवसायी का यह माल होने की पुष्टि होती हैं। नगो पर भी जीटी कोटा लिखा होने से यह कोटा स्थित व्यवसायी के माल होने की पुष्टि होती है।

इसी प्रकार भौतिक सत्यापन पर दस्तावेजों में घोषित से भिन्न/अधिक/अघोषित कर योग्य माल को वक्त पांच प्रस्तुत दस्तावेजों के जॉच पर मिथ्या व कूटरचित पाये जाने तथा भौतिक सत्यापन पर माल बिलों में घोषित से भिन्न माल/अघोषित माल पाये जाने व जॉच में माल कोटा स्थित व्यवहारियों का पाये जाने व जॉच में माल कोटा स्थित व्यवहारियों का पाया जाना रेकॉर्ड से स्पष्ट है।

भौतिक सत्यापन पर माल का बिना दस्तावेजों के पाये जाने, कोटा स्थित फर्म/व्यवसायी के नाम की माल खरीद की पर्ची मिलना, माल के नगों पर कोटा, केटी के साथ प्रा.मार्का लिखे नगो के मिलने तथा दस्तावेजों में घोषित से भिन्न व अघोषित माल के मिलने तथा पंजीयन (TIN) जांच रिपोर्ट के अनुसार माल प्रेषक व्यवहारियों की सत्यता बोगस तथा मिथ्या पाये जाने, इन्दौर, स्थित एकमात्र दस्तावेजों से दर्शित TIN संख्या की जांच में व्यवसायी की पंजीयन संख्या बोगस व मिथ्या पाये जाने आदि के

लगातार.....3

तथ्यों के गलत व बोगस दस्तावेजों के पाये जाने के स्पष्ट होने के बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में वाहन से संचालित माल का गन्तव्य कोटा स्थित व्यवहारियों का होना प्रमाणित होने का उल्लेख करते हुए राज्य की प्रवेश चैक पोस्ट पर जान बुझकर गलत घोषणा/जानकारी देकर बहती प्राप्त करने का उल्लेख करके सशक्त अधिकारी ने कर व शास्ति आरोपित किये जाने में विधिक भूल नहीं की है।

अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि माल राज्य के बाहर चला गया हो। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों पर सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए विस्तृत विवेचन के साथ यह निष्कर्षित किया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा करापवंचन की मंशा से माल का परिवहन किया जा रहा था जिसमें माल प्रभारी/वाहन चालक की मिलीभगत भी प्रमाणित होती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित विश्लेषण किये बिना सशक्त अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया गया है, जिसका कोई ठोस आधार अपीलीय आदेश में नहीं दिया गया है। वक्त जांच पाये गये दस्तावेज एवं माल के भौतिक सत्यापन के पश्चात् सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत पाये जाते हैं। अपीलीय अधिकारी ने इन्हें अपास्त करने में विधिक त्रुटि की है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक आदेश दिनांक 01.12.2008 अपास्त किये जाते हैं तथा सशक्त अधिकारी द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 31.10.2007 बहाल किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष